

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961  
(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग  
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

164— बांसवाड़ा (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (इंडियन नेशनल काँग्रेस) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन — क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान :- बांसवाड़ा

दिनांक :- 11.12.2018

रिटर्निंग ऑफिसर

164— बांसवाड़ा (अ.ज.जा.) विधानसभा क्षेत्र

जिल्हा बांसवाडा  
164-बांसवाडा (अ.ज.जा.) विधान सभा क्षेत्र  
(उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बांसवाडा)

[FORM 21C  
[See rule 64]  
FINAL RESULT SHEET

(For use in General Election when seat is contested)

DECLARATION OF THE RESULT OF ELECTION UNDER SECTION 66 OF THE REPRESENTATION OF THE PEOPLE ACT, 1951

Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** (State) from **164-BANSWARA (ST)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

ARJUN SINGH BAMNIYA, ADDRESS VILLAGE MALVASA POST SAGROAD TEHSIL AND DISTRICT BANSWARA by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: *Banswara*

Date: *11/12/18*

  
Signature

Returning Officer